



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032025-261919
CG-DL-E-24032025-261919

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2025/चैत्र 3, 1947

No. 156]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2025/CHAITRA 3, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2025

सं. 06/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 191(अ).—जबकि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'रोलर चेन', (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद 7315 11 00 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 06/26/2023-डीजीटीआर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2024, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित किया गया था, के तहत अन्य बातों के अलावा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

- (i) विषयगत वस्तुओं को विषयगत देश से भारत में उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है, जिसके कारण डंपिंग हुई है;
- (ii) विषयगत देश से विषयगत आयात के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तु के डंप किए गए आयात के कारण सारवान क्षति हुई है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची की उस टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा निर्मित है और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	सीआईएफ के प्रतिशत के रूप में शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7315 11 00	रोलर चैन	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	झेजियांग बकोर्ड मशीनरी कंपनी लिमिटेड	शून्य
2	- वही -	- वही -	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	जियांगशी हेंगजिउ चैन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड अनहुई हुआंगशान हेंगजिउ ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड झेजियान हेंगजिउ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी इंक. लिमिटेड	शून्य
3	- वही -	- वही -	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	अन्य	6.34%

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों हेतु,

- (क) ऐसे प्रतिपादन शुल्क, की गणना के प्रयोजनों हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया है, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख होगी।
- (ख) "सीआईएफ मूल्य" का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य से है।

[फा. सं. 190354/30/2025-टीआरयू]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2025

No. 06/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 191(E).—Whereas in the matter of ‘Roller Chains’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 7315 11 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification No. 06/26/2023-DGTR, dated the 26th December, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26th December, 2024, has *inter-alia* come to the conclusion that—

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country at a price below the normal value, resulting in dumping;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject country;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty calculated at the rate as specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty as % of CIF value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7315 11 00	Roller Chains	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Bakord Machinery Co. Ltd	NIL
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangxi Hengjiu Chain Transmission Co. Ltd. Anhui Huangshan Hengjiu Transmission Co. Ltd. Zhejian Hengjiu Transmission Technology Inc. Ltd.	NIL
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Others	6.34%

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification,

(a) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

(b) "CIF value" means assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 190354/30/2025-TRU]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.